



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 कें०वी० विद्युत उपकेंद्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn1@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 6145 / द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी

दिनांक २४/०३/२०१८

मुख्य अभियन्ता (वि०)/(सामग्री प्रबन्ध-1/11)

(तकनीकी)/(वाणिज्य)/(जानपद),

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

अधीक्षक अभियन्ता (मण्डार)/

अधिसासी अभियन्ता (विद्युत मण्डार खण्ड)

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

विषय :- डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य एवं अन्य मामलों पर जी०एस०टी० सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

कृपया उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के पत्र संख्या 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018 दिनांक 23.02.2018 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जी०एस०टी० से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

1. डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य।

(नोट:- उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र में सरकारी कोष में जी०एस०टी० जमा कराये जाने की दी गयी तिथि/प्रक्रिया के स्थान पर द०वि०वि०नि०लि० द्वारा समय-समय पर जी०एस०टी० जमा कराये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों (विशेषतः 5452/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी० दिनांक 28.09.2017 एवं पत्रांक 5713/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/ जी०एस०टी० दिनांक 22.12.2017) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जोकि पूर्व में आपको प्रेषित किये जा चुके हैं एवं द०वि०वि०नि०लि० की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के उपरोक्त पत्र में दिये गये उदाहरण में गणना के लिए प्रयोग की गयी दरें (प्रतिशत) केवल उदाहरणास्वरूप हैं। अतः विभिन्न मदों में वर्तमान में लागू वास्तविक दरों (प्रतिशत) पर ही सभी गणनाएँ की जायेंगी)

2. टेण्डर फार्म की बिक्री पर जी०एस०टी० दर।

3. बैंक गारण्टी जब्त करने के सम्बन्ध में।

4. विलम्ब से की गई सप्लाई पर एल०डी०(पेनाल्टी)/इत्यादि अन्य प्रकार की सभी पेनाल्टी के सम्बन्ध में।

(नोट:-पेनाल्टी में निरर्थक यात्रा व्यय इत्यादि अन्य प्रकार की वसूल/प्राप्त की जा रही पेनाल्टी पर भी जी०एस०टी० जमा किया जाना अनिवार्य है। अतः निरर्थक यात्रा व्यय पर भी 18% की दर (वर्तमान दर) से जी०एस०टी० सम्मिलित कर पेनाल्टी अधिभारित की जाए।)

उपरोक्त के अतिरिक्त उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के पत्र संख्या 09/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018 दिनांक 24.03.2018 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें GST- Anti Profiteering एवं Circular सं० 34/08/2018 दिनांक 01.03.2018 (प्रति संलग्न) से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में सम्बन्धित इकाईयों/खण्डों द्वारा Tax Invoice (TI), Receipt Voucher (RV) एवं Refund Voucher (RF) जारी करने के सम्बन्ध में 5238/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी० दिनांक 31.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें तथा जी०एस०टी० जमा कराये जाने हेतु एवं निगम मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० प्रकोष्ठ को मासिक विवरणी भेजने हेतु द०वि०वि०नि०लि० द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों (विशेषतः 5452/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी० दिनांक 28.09.2017 एवं पत्रांक 5713/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी० दिनांक 22.12.2017) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जोकि पूर्व में आपको प्रेषित किये जा चुके हैं एवं द०वि०वि०नि०लि० की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अतः उपरोक्त नियमों का पूर्णरूपेण पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक : यथोपरि।



(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी/दिनांक /03/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्र०का०, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी /बाँदा को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से अनुश्रवण कर इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।
3. अधीक्षक अभियन्ता (इक्वेटर)/समस्त अधीक्षक अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।

संलग्नक : यथोपरि।


(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8320

Room No. 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxupcl@gmail.com

पत्र सं०: 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018

दिनांक: 23.02.2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय :- डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य एवं अन्य मामलों पर जी०एस०टी० सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

1. डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य

जैसा कि विदित है निगम द्वारा अन्य डिस्कॉम एवं उपभोक्ताओं के निवेदन पर डिपोजिट वर्क के आधार पर लाइनों एवं अन्य आधुनिक संरचना का निर्माण किया जाता है जिनसे सम्पूर्ण धनराशि की प्राप्ति उपभोक्ता से की जाती है।

पूर्व कर प्रणाली में ऐसे कार्यों के लिये निगम द्वारा एक Estimate डिस्कॉम या उपभोक्ताओं को दिया जाता था जिसमें Material, Labour, overhead एवं 15% Supervision charges की सम्पूर्ण धनराशि निगम द्वारा उपभोक्ताओं या डिस्कॉम से प्राप्त किये जाते थे।

जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात् निगम द्वारा डिपोजिट के आधार पर डिस्कॉम अथवा अन्य उपभोक्ताओं के लिये किये जाने वाले कार्य को अन्य सेवाओं की श्रेणी में रखा जायेगा (SAC-999799 : Other services nowhere else classified) एवं सम्पूर्ण Estimate की राशि पर जी०एस०टी० (वर्तमान दर 18%) लगाया जाएगा।

कार्य-प्रक्रिया

1. निगम द्वारा कार्य के लिये ली जाने वाली अग्रिम धनराशि जी०एस०टी० के दायरे में आयेगी एवं जी०एस०टी० राशि को सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा अगले महीने की 20 तारीख तक सरकारी कोष में जमा कराना है।
2. अग्रिम राशि लेते समय सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा Receipt Voucher जारी किया जायेगा।
3. कार्य समाप्ति पर सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा उपभोक्ता को Tax Invoice जारी करना होगा।
4. अगर निगम द्वारा कार्य अवधि के मध्य में पुनः अग्रिम धनराशि और ली जाती है तो उस पर भी जी०एस०टी० देय होगा एवं सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा Receipt Voucher जारी किया जायेगा एवं वसूली गयी कर राशि को अगले महीने की 20 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करायेंगे।

5. कार्य के लिये क्रय किये गये material, erection एवं overhead पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 निगम को Input Tax Credit (ITC) के रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा। कृपया अन्त में दिये गये FAQ 3 का सन्दर्भ ग्रहण करें।
6. वसूली गयी अग्रिम में से अगर किसी राशि को उपभोक्ता को वापस करना पड़ता है, तो उसके लिये सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा Refund voucher जारी किया जायेगा।

Receipt voucher एवं Refund voucher के प्रारूप एवं Excel utility GST cell द्वारा पहले ही परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को भेजी जा चुकी है।

डिपोजिट कार्य हेतु जी0एस0टी0 की गणना निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार की जायेगी :-

Particulars	Amount (Rs.)
Cost of Work (Material/erection/overhead)	1,00,00,000
Add: GST @ 18% (charged by supplier/contractor)	18,00,000
Total Cost of Work to be paid to the supplier / contractor	1,18,00,000
Supervision Charges @ 15%	17,70,000
Contingency and Other Charges @10%	11,80,000
Taxable Value	1,47,50,000
Add: GST @ 18%	26,55,000
Total amount of Deposit Works to be charged from the client	1,74,05,000

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार सम्बन्धित खण्ड/इकाई द्वारा उपभोक्ता से ₹ 1,74,05,000 अग्रिम प्राप्त किये जायेंगे एवं उपभोक्ता को उक्त धनराशि का Receipt voucher जारी किया जायेगा एवं ₹ 26,55,000 जी0एस0टी0 अगले माह की 20 तारीख तक सरकारी कोष में जमा किया जायेगा।

कार्य पूर्ण होने पर वास्तविक व्यय की गणना करते हुए Tax Invoice जारी किया जायेगा। यदि उपभोक्ता से कम धनराशि प्राप्त होने की स्थिति में शेष धनराशि प्राप्त की जायेगी एवं उसका समायोजन Tax Invoice में निम्नलिखित के अनुसार दर्शाया जायेगा :-

Cost of Work (Material/erection/overhead)	1,20,00,000
Add: GST @ 18% (charged by supplier/contractor)	21,60,000
Total Cost of Work to be paid to the supplier / contractor	1,41,60,000
Supervision Charges @ 15%	21,24,000
Contingency and Other Charges @10%	14,16,000
Taxable Value	1,77,00,000
Add: GST @ 18%	31,86,000
Total amount of Deposit Works to be charged from the client	2,08,86,000
Amount already collected from the client	1,74,05,000
Balance to be collected from the client	34,81,000
- Out of which GST is to be deposited (31,86,000-26,55,000)	5,31,000

ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ता से सिर्फ Supervision charges की धनराशि प्राप्त की जाती है उनमें Supervision charges पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (वर्तमान दर) लगाया जायेगा। Processing fees एवं Shut down charges पर भी जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (वर्तमान दर) लिया जायेगा।

डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में RECTPCL द्वारा दिये गये FAQs एवं उनका उत्तर संलग्न है।

2.टेण्डर फार्म की बिक्री पर जी0एस0टी0 दर

खण्डों एवं इकाईयों द्वारा टेण्डर फार्म की बिक्री दो माध्यमों से की जाती है – ऑनलाइन एवं कागजी रूप में। ऑनलाइन किये गये टेण्डर फार्म की बिक्री Supply of services (SAC/HSN-9984) की श्रेणी में आयेगी जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

कागजी रूप में की गयी टेण्डर फार्म की बिक्री Supply of Goods (HSN-4911) की श्रेणी में आयेगी जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 12 प्रतिशत है।

भविष्य में बिक्री होने वाले टेण्डर फार्म पर उक्त दरों से जी0एस0टी0 लगाया जायें।

3.बैंक गारण्टी जब्त करने के सम्बन्ध में

कई बार ठेकेदारों/सेवाप्रदाताओं द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर उनके द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी (जमानत) निगम द्वारा जब्त कर ली जाती है। इस प्रकार जब्त की गई जमानत की धनराशि जी0एस0टी0 के दायरे में आती है एवं जब्त की गई धनराशि को Supply of services मानते हुए जी0एस0टी0 देय होगा, जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

ठेकेदारों द्वारा सामान्यतः दो प्रकार की गारण्टी जमा करायी जाती है – Performance bank guarantee and Advance/Money bank guarantee। जी0एस0टी0 की देयता केवल Performance bank guarantee के जब्त होने पर आयेगी Advance/Money bank guarantee के जब्त होने पर नहीं।

4.विलम्ब से की गई सप्ताई पर एल0डी0 (पेनाल्टी) के सम्बन्ध में

सामान्यतः विलम्ब से प्राप्त होने वाली आपूर्ति/कार्य में अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत 0.5% की दर से प्रति सप्ताह कटौती (एल0डी0/पेनाल्टी) किये जाने का प्रावधान होता है। जी0एस0टी0 प्रणाली में इस प्रकार की कटौतियों/एल0डी0/पेनाल्टी को जी0एस0टी0 अधिनियम के शिड्यूल II entry no. 5 (**agreeing to tolerate an act or a situation : SAC 999794**) के अनुसार supply of services माना जायेगा एवं इसके लिए supplier/contractor को खण्ड/इकाई द्वारा tax invoice जारी किया जायेगा जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की दर से देय होगा।


Example

Against a contract for Rs. 1,00,000 + GST Rs. 18,000, UPPCL decides to levy liquidated damages/penalty @ 10% of Rs. 10,000 on the contractor as per the terms of the contract. The following procedure should be followed:

1. The contractor shall submit his tax invoice for a total amount of Rs. 1,18,000 (Rs. 1,00,000 + GST Rs. 18,000).
2. UPPCL shall issue a tax invoice towards liquidated damages for Rs. 10,000 (under tariff heading 999794) + GST Rs. 1,800 totalling to Rs. 11,800 to the contractor.
3. UPPCL shall deposit the GST of Rs. 1,800 and file the prescribed monthly returns within the prescribed time limit.

4. UPPCL shall make a net payment of Rs. 1,06,200 (Rs. 1,18,000 minus Rs. 11,800) to the contractor.

संलग्नक:-यथोपरोक्त



(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं०: 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० /केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
 - उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु पृथक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6- अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त


(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

FAQs on Deposit related work

FAQ 1: Which document should be raised for receiving the amount towards deposit works estimates and whether the amount should be including GST or without GST?

Comments: In case an estimate is being issued by UPPCL to the client, it can be in the form of an "Estimate Form". Since deposit works contract carried out by UPPCL is covered under the category of supply of services, the amount received by UPPCL is taxable under GST at the time of its receipt. Therefore, UPPCL should receive deposit works estimate amount with the applicable GST from the client. UPPCL should issue "Receipt Voucher" in terms of Section 31(3)(d) of the CGST Act, 2017 to the client for the advance amount received on the basis of estimated cost of work.

FAQ 2: If deposit works estimate is issued including GST, when does the liability to pay tax arise on UPPCL?

Comments: In case of amount is received against the "Estimate", it will be in the nature of advance payment. As per the provisions of Section 13(2)(a) of the CGST Act, 2017 the time of supply shall be the date of receipt of payment. The date of issue of the "Estimate" shall not be relevant for this purpose. Accordingly, the GST liability would arise in the month when UPPCL receives advance against deposit works estimate and would be required to be deposited before filing the form GSTR- 3B or GSTR-3, as the case may be, for the month in which such advance amount has been received.

FAQ 3 : If the amount received towards deposit works includes GST, whether UPPCL can claim input tax credit (ITC) on the services taken from the contractors for undertaking the work?

Comments: As mentioned in the background given above, the client for whom this work is undertaken is granted an exclusive use of that transmission line / infrastructure. UPPCL does not transfer the title of the goods to the client under this scheme, and is shown as "Fixed Assets" in the books of accounts of UPPCL. We further understand that UPPCL has taken a position that the activity of construction of transmission lines / sub-stations falls under the definition of "works contract" as per Section 2(119) of the CGST Act, 2017.

With respect to availability of ITC against the above works contracts, there are specific restrictions in this regard as per Section 17(5) of the CGST Act, 2017 under the following sub-clauses:

(c) Works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;

(d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business.

In view of the above, ITC of the GST charged by the contractors shall not be available to UPPCL.



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8320

Room No. 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppl@gmail.com

पत्र सं०: 09/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018

दिनांक: 24.03.2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय:- GST- ANTI PROFITEERING एवं CIRCULAR सं० 34/8/2018 से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

- (1) CGST Act 2017 में Anti Profiteering का उल्लेख धारा 171 में किया गया है, जो कि इस प्रकार है:-
Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

उपरोक्त के अनुसार GST लागू होने के उपरान्त इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था के चलते दरों में आयी कमी का लाभ विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराना है। इस धारा के अनुसार दरों में आयी कमी का लाभ क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराने का दायित्व विक्रेता/सेवा प्रदाता का है।

जैसा कि संज्ञान में आया है कि अनुबंध में लिखने के बावजूद ठेकेदार/विक्रेता/सेवा प्रदाता दरों में कमी का लाभ निगम को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरे पक्ष से बैठक कर बातचीत किया जाना एवं दरों में कमी को लेकर Self Declaration एवं CA Certificate (By Company's statutory auditor) लिया जाना उचित विकल्प प्रतीत होता है। Self Declaration का प्रारूप Annexure-A में संलग्न है।

- (2) Tax Research Unit, Ministry of Finance, Government of India द्वारा जारी किये गये सर्कुलर संख्या 34/8/2018- GST दिनांक 01.03.2018 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार Transmission अथवा Distribution Utility द्वारा प्रदान की जा रही Transmission एवं Distribution सेवाएं ही GST में कर मुक्त सेवाएं मानी गयी हैं। इसके अलावा Transmission अथवा Distribution Utility द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं (Ancillary Services) GST के दायरे में आयेंगी। सर्कुलर में वर्णित बिन्दु सं०- 4 इस प्रकार है:-


Service by way of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility is exempt from GST under notification No. 12/2017- CT (R), Sl. No. 25. The other services such as-

- Application fee for releasing connection of electricity.
- Rental Charges against metering equipment.

- iii. Testing fee for meters/transformers, capacitors etc.
iv. Labour charges from customers for shifting of meters or shifting of service lines.
v. Charges for duplicate bill.
Provided by DISCOMS to consumer are taxable.

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरोक्त


(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं०: 09/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० /केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

- उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु पृथक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

3- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।


4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

5- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

6- अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

7- अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त


(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

Annexure

UNDERTAKING BY BIDDER TOWARDS ANTI PROFITEERING CLAUSE OF GST ACTS/RULES

(to be submitted on letter head)

To

.....(Designation of the agreement Authority of UPPCL/UPPTCL)

.....(Address)

Sub:- Undertaking towards compliance of Provision of Section 171 of the GST Act'2017 pertaining to Anti-Profiteering.

**Ref: Tender/WO/PO/No.....Dated.....for supply/work of
(Brief description of work/supply)**

Sir,

1. We.....(Name of bidder with address) have submitted Bid No.....datedagainst aforesaid tender.

Or

We(Name of contractor with address) have accepted the WO/PO No.....dated.....for the above referred work/supply.

2. According to section 171 of CGST Act/SGST Act, "any reduction in rate of tax on any supply of Goods or Services or the benefit of input Tax Credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices."
3. Accordingly, we hereby offer a discount of Rs...../.....% on quoted prices due to reduction in rate of tax or availability of benefit of Input Tax Credit. Further working on the basis of which benefit of reduced prices is working out shall be provided to UPPCL/UPPTCL along with supporting document/ evidences.
4. We hereby confirm that, above discount is maximum possible benefit available and is in compliance with the aforesaid Section 171 of CGST/SGST.
5. In case it is found at a later that, any additional benefit on account of GST is available to us, we hereby undertake to pass on the benefit to UPPCL/UPPTCL subsequently.
6. In case of failure from our part, of passing on the benefit, we hereby authorize UPPCL/UPPTCL to recover the amount from any amount due to us, or to take legal action us for recovery the amount due to us, or to take legal action against us for recovery of the same.

Place:

Signature of Authorised Signatory of Bidder/Contractor

Date:

Name

Designation

Seal

F. No. 354/17/2018-TRU
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax research Unit

**Room No. 146G, North Block,
New Delhi, 1st March 2018**

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/
Commissioner of Central Tax (All) /
The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

Subject: Clarifications regarding GST in respect of certain services

I am directed to issue clarification with regard to the following issues as approved by the Fitment Committee to the GST Council in its meeting held on 9th, 10th and 13th January 2018:-

S. No.	Issue	Clarification
1.	Whether activity of bus body building, is a supply of goods or services?	In the case of bus body building there is supply of goods and services. Thus, classification of this composite supply, as goods or service would depend on which supply is the principal supply which may be determined on the basis of facts and circumstances of each case.
2.	Whether retreading of tyres is a supply of goods or services?	In retreading of tyres, which is a composite supply, the pre-dominant element is the process of retreading which is a supply of service. Rubber used for retreading is an ancillary supply. Which part of a composite supply is the principal supply, must be determined keeping in view the nature of the supply involved. Value may be one of the guiding factors in this determination, but not the sole factor. The primary question that should be asked is what is the essential nature of the composite supply and which element of

		<p>the supply imparts that essential nature to the composite supply.</p> <p>Supply of retreaded tyres, where the old tyres belong to the supplier of retreaded tyres, is a supply of goods (retreaded tyres under heading 4012 of the Customs Tariff attracting GST @ 28%)</p>
3.	<p>Whether Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) are outside the purview of GST and therefore not taxable?</p>	<p>In Reserve Bank of India FAQ on PSLC, it has been mentioned that PSLC may be construed to be in the nature of goods, dealing in which has been notified as a permissible activity under section 6(1) of the Banking Regulation Act, 1949 vide Government of India notification dated 4th February, 2016. PSLC are not securities. PSLC are akin to freely tradeable duty scrips, Renewable Energy Certificates, REP license or replenishment license, which attracted VAT.</p> <p>In GST there is no exemption to trading in PSLCs. Thus, PSLCs are taxable as goods at standard rate of 18% under the residuary S. No. 453 of Schedule III of notification No. 1/2017-Central Tax(Rate). GST payable on the certificates would be available as ITC to the bank buying the certificates.</p>
4.	<p>(1) Whether the activities carried by DISCOMS against recovery of charges from consumers under State Electricity Act are exempt from GST?</p> <p>(2) Whether the guarantee provided by State Government to state owned companies against</p>	<p>(1) Service by way of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility is exempt from GST under notification No. 12/2017- CT (R), Sl. No. 25. The other services such as, -</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Application fee for releasing connection of electricity; ii. Rental Charges against metering equipment; iii. Testing fee for meters/ transformers, capacitors etc.; iv. Labour charges from customers for shifting of meters or shifting of service lines;

guarantee commission, is taxable under GST?	v. charges for duplicate bill; provided by DISCOMS to consumer are taxable. (2) The service provided by Central Government/State Government to any business entity including PSUs by way of guaranteeing the loans taken by them from financial institutions against consideration in any form including Guarantee Commission is taxable.
---	--

2. Difficulty if any, in the implementation of this circular may be brought to the notice of the Board.